

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं० 20 / 2015-2020


नई दिल्ली, दिनांक: 25 अगस्त, 2017

विषय:- परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (2015-20) में परिशिष्ट-2भ शामिल करना।

विदेश व्यापार नीति (2015-20) के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा परिशिष्ट 2भ- "मदों के आयात/निर्यात पर देश विशिष्ट प्रतिबंध/रोक" को अधिसूचित करते हैं जिसमें सभी अधिसूचनाओं जिनके तहत आईटीसी (एचएस) 2017 में दी गई मदों के आयात या निर्यात पर प्रतिबंध/रोक लगाए गए हैं, को सूचीबद्ध किया गया है।

2. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:-

परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (2015-20) में परिशिष्ट 2भ- मदों के आयात/निर्यात पर देश विशिष्ट प्रतिबंध/रोक, को अधिसूचित किया जाता है।


(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल: dgft@nic.in

(फा० सं० 01/89/180/36/एम-11/पीसी-2(क) से जारी)

परिशिष्ट- 2अ

मदों के आयात/निर्यात पर देश विशिष्ट प्रतिबंध/रोक

क्र० सं०	देश	वस्तु/मद	अधिसूचना सं० और तार तारीख
1.	चीन लोक गणराज्य	दुग्ध और दुग्ध उत्पाद	अधिसूचना सं० 10 दिनांक 22.06.2017
2.	दक्षिण कोरिया	सोने और चांदी के सभी मद	अधिसूचना सं० 25 दिनांक 25.08.2017